



बिहार विधान परिषद्

दैनिक विवरणिका

संख्या- 8

सत्र- 212वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बृहस्पतिवार, दिनांक 12.2.2026 ई.

माननीय सभापति, श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 2.50 बजे अपराह्न तक

आसन का आदेश

आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह आदेश देने की कृपा की कि कल कार्यवाही में माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह द्वारा कुछ असंसदीय शब्द कह दिया गया था, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इस तरह का शब्द सदन में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

आसन को सूचना

माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया कि पिछले शुक्रवार को राज्य में जो अनुकम्पा आश्रित लिपिकों और परिचारियों की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि 7 (सात) दिनों के अंदर वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति राज्यकर्मी के रूप में हुई थी। एन.पी.एस. की कटौती के लिए प्रान नंबर के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन उनके नियत वेतन के लिए उनका मासिक वेतन तय कर दिया गया है। इसलिए मैं आसन को सूचना दे

रहा हूं कि इसको सरकार अपने स्तर से देखे। इसपर आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि सरकार सूचना ग्रहण करे, जिसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने सूचना ग्रहण की।

अल्पसूचित प्रश्न

- प्रश्न संख्या - 17, 94, 95, 96, 98 एवं 99 उत्तरित हुए।
 प्रश्न संख्या - 93 एवं 97 व्यपगत हुए।
 प्रश्न संख्या - 100 से 107 अनागत हुए।

आसन का निर्देश

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-94 पर आसन से माननीय सभापति ने यह निर्देश देने की कृपा की कि माननीय मंत्री जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

तारांकित प्रश्न

- प्रश्न संख्या - 143 से लेकर 150 एवं 167 उत्तरित हुए।
 प्रश्न संख्या - 151 से लेकर 166, 168 एवं 169 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या-150 पर आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री से आग्रह है कि इसमें क्या हो सकता है, इसको देख लेंगे।

2. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया -

1. श्रीमती शशि यादव
2. श्री सौरभ कुमार एवं डा. उर्मिला ठाकुर

आसन का निर्देश

माननीय सभापति महोदय ने यह निर्देश देने की कृपा की कि ठीक है, आप दे दें।

3. औपचारिक कार्य

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-205 (ग)(1) के अनुसरण में, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 की बैठक में यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2026 की प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, डा. अजय कुमार सिंह द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड में नकटा ग्राम के वार्ड संख्या-6 तक निर्मित सुरक्षा बांधों को वार्ड संख्या-7 सोनवर्षा टोला-महपतिया पंचायत से झरबा तक विस्तार के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

स्थगित।

2. माननीय सदस्या, श्रीमती शशि यादव द्वारा राज्य के सभी दिव्यांगजनों को न्यूनतम रूपया 3000 मासिक पेंशन देने तथा प्रत्येक प्रखंड में समग्र विकास के उद्देश्य से एक पूर्ण सुविधायुक्त विद्यालय स्थापित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, प्रो. गुलाम गौस द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत बिदुपुर प्रखंड के कुतुबपुर गांव में अवस्थित कब्रिस्तान (नया खाता नं.- 1188, नया खेसरा नं.- 2237, 2238) की घेराबंदी कराने के करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

व्यपगत।

4. माननीय सदस्या, डा. कुमुद वर्मा द्वारा गया जिला के गुरारू प्रखंडान्तर्गत ग्राम केरकी में अवस्थित तालाब की सफाई एवं पक्की पइन निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री संतोष कुमार सुमन ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, डा. समीर कुमार सिंह द्वारा फुलवारीशरीफ, पटना में अवस्थित एम्स गोलम्बर (प्रवेश संख्या-4) के समीप कचरे से उत्पन्न गंदगी एवं दुर्गंध को रोकने तथा संबंधित पदाधिकारियों पर जबावदेही तय करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस पर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि सरकार को देखना चाहिए कि लोग वहां पर कचरा नहीं फेंकें। इसका हमने संज्ञान लिया है, अब इसपर क्या कहा जाएगा। इसपर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसका निराकरण किया जाएगा।

(अंतराल)

5. वित्तीय कार्य एवं वित्तीय विधेयक

वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर

माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण पर सामान्य वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग विधेयक, 2026 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

2. बिहार विनियोग विधेयक, 2026

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2026 पारित हो।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

6. राजकीय प्रस्ताव

माननीय मंत्री, डा. प्रमोद कुमार ने प्रस्ताव किया कि “यह बिहार विधान परिषद, बिहार विधान सभा में उद्भूत और बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् द्वारा यथापारित “बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021” जो संविधान के अनुच्छेद-200 के अधीन विचारार्थ रक्षित है, को वापस लेने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करे”, जिस पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत् सूचना विधानसभा को दे देंगे।

7. निवेदन

1. श्री अशोक कुमार
2. श्री संतोष कुमार सिंह
3. श्री अनिल कुमार
4. डा. समीर कुमार सिंह
5. श्री जीवन कुमार
6. डा. उर्मिला ठाकुर
7. श्री दिलीप कुमार सिंह
8. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
9. श्री वंशीधर ब्रजवासी
10. श्री महेश्वर सिंह
11. श्री अफाक अहमद खां

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाए।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शक्रवार, दिनांक 13.2.2026 को
11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

Sumit
12/2/2026

(सुभीम शर्मा)

मुख्य प्रतिवेदक,

बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 172 (3) / वि.प.

पटना, दिनांक 12.2.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठाण निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

Anil Kumar Anand
12.2.2026

(अनिल कुमार आनन्द)

वरीय प्रतिवेदक,

बिहार विधान परिषद्।



روزانہ تفصیلات
۲۱۲واں اجلاس

بہار قانون ساز کاؤنسل
شمارہ-۸

ایوان کی کارروائی کا مختصر ریکارڈ

جمعرات، ۱۲ فروری، ۲۰۲۶

12.02.2026

عزت مآب چیرمین جناب اودھیش نارائن سنگھ کی صدارت میں

ایوان کی کارروائی شروع ہوئی

12.00 بجے دن سے 02.50 بجے شام تک

صدر نشین کا حکم

کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ حکم دینے کی عنایت کی کہ کل کارروائی میں معزز رکن، جناب مہیشور سنگھ کے ذریعہ کچھ غیر پارلیمانی لفظ کہہ دیا گیا تھا، اس کو کارروائی سے نکال دیا جائے۔ اس طرح کا لفظ ایوان میں استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

صدر نشین کو اطلاع

معزز رکن، ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ نے اطلاع کے توسط سے صدر نشین کی توجہ مبذول کی کہ گزشتہ جمعہ کو ریاست میں جوانوں کو کمپا کی بنیاد پر کلرکوں اور آفس انڈنٹ کی تقرری ہوئی ہے، اس کے بارے میں معزز وزیر تعلیم کے ذریعہ کہا گیا تھا کہ ۷ (سات) دنوں کے اندر تنخواہ کی ادائیگی کردی جائے گی۔ ان کی تقرری سرکاری ملازم کے طور پر ہوئی تھی۔ این پی ایس کی کٹوتی کے لئے پرائمری نمبر کے لئے مکتوب لکھا گیا تھا، لیکن ان کی متعینہ تنخواہ کے لئے ان کی ماہانہ تنخواہ طے کردی گئی ہے۔ اس لئے میں صدر نشین کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اس کو حکومت اپنی سطح سے دیکھے۔ اس پر کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ حکومت اطلاع قبول کرے،

جس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب وجے کمار چودھری نے اطلاع قبول کی۔

مختصر میعادى سوال

سوال نمبر۔ ۱۷، ۹۳، ۹۵، ۹۶، ۹۸ اور ۹۹ کے جواب دیئے گئے۔

سوال نمبر۔ ۹۳ و ۹۷ ضائع ہوئے۔

سوال نمبر۔ ۱۰۰ سے ۱۰۷ ایوان کی میز تک نہیں پہنچے۔

صدر نشیں کی ہدایت

مختصر میعادى سوال نمبر۔ ۹۳ پر کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ ہدایت دینے کی عنایت کی کہ معزز وزیر زمین دستیاب کرانے کی کوشش کریں گے۔

علامتی سوال

سوال نمبر۔ ۱۳۳ سے لے کر ۱۵۰ اور ۱۶۷ کے جواب دیئے گئے۔

سوال نمبر۔ ۱۵۱ سے لے کر ۱۶۶، ۱۶۸ اور ۱۶۹ ایوان کی میز تک نہیں پہنچے۔

صدر نشیں کی رونگ

علامتی سوال نمبر۔ ۱۵۰ پر کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ رونگ دینے کی عنایت کی کہ معزز وزیر سے گزارش ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔

۲۔ وقفہ ہصفر

وقفہ ہصفر کے دوران مندرجہ ذیل معزز اراکین نے مختلف موضوعات کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کی:

۱۔ محترمہ ششی یادو

۲۔ جناب سور بھ کمار اور ڈاکٹر ارمیلا ٹھا کر

صدر نشیں کی ہدایت

عزت مآب چیرمین نے یہ ہدایت دینے کی عنایت کی کہ ٹھیک ہے، آپ دے دیں۔

۳۔ رسمی امور

سکرٹری کے ذریعہ بہار قانون ساز کاونسل کے ضابطہ نامہ، طریق کار و دستور العمل کے ضابطہ۔ ۲۰۵ (ج) (۱) کی تعمیل میں بہار

۵۔ مالی امور اور مالی بل

مالی سال ۲۶-۲۰۲۵ کے تیسرے ضمنی بجٹ پر عام بجٹ اور حکومت کا جواب

معزز رکن، ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ مالی سال ۲۶-۲۰۲۵ کے تیسرے ضمنی بجٹ پر عام بجٹ، حکومت کا جواب اور اس سے متعلق بہار تصرف بل، ۲۰۲۶ ایک ساتھ لئے جائیں، جس پر ایوان کے ذریعہ منظوری عطا کی گئی۔

۲۔ بہار تصرف بل، ۲۰۲۶

جناب وجیندر پرساد یادو، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار تصرف بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب وجیندر پرساد یادو، معزز (مالیات) وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار تصرف بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

منظوری کی تجویز پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب وجیندر پرساد یادو نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۶۔ سرکاری تجویز

معزز وزیر، ڈاکٹر پرمود کمار نے تجویز پیش کی کہ ”یہ بہار قانون ساز کاؤنسل، بہار قانون ساز اسمبلی میں پیش اور بہار قانون ساز اسمبلی

اور قانون ساز کاؤنسل کے ذریعہ پاس ’بہار رسول عدالت بل، ۲۰۲۱ جو آئین کے پیرا گراف ۲۰۰ کے تحت زیر غور محفوظ ہے، کو واپس

لینے کی تجویز پر اتفاق ظاہر کرے“، جس پر ایوان کے ذریعہ رضامندی ظاہر کی گئی۔


سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع قانون ساز اسمبلی کو دے دیں گے۔

۷۔ عرضداشت

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ۱۔ جناب اشوک کمار | ۲۔ جناب سنتوش کمار سنگھ | ۳۔ جناب ایل کمار |
| ۴۔ ڈاکٹر سمیر کمار سنگھ | ۵۔ جناب جیون کمار | ۶۔ ڈاکٹر ارمیلا ٹھاکر |
| ۷۔ جناب دلپ کمار سنگھ | ۸۔ جناب رویندر پرساد سنگھ | ۹۔ جناب ونشی دھر برج واسی |
| ۱۰۔ جناب مہیشور سنگھ | ۱۱۔ جناب افاق احمد خاں | |

عزت مآب چیئرمین نے ایوان کی اجازت سے یہ ہدایت دینے کی عنایت کی کہ موصولہ سبھی عرضداشتوں کو عرضداشت کمیٹی کے توسط سے متعلقہ محکموں کو ارسال کیا جائے۔

بعد ازاں کاؤنسل کی نشست جمعہ مورخہ ۱۳ فروری، ۲۰۲۶ء کو ۱۲ بجے دن تک کے لئے ملتوی ہوئی۔



(سبھیم شرما)


چیف رپورٹر

بھارت قانون ساز کاؤنسل

12.02.2026

مکتوب نمبر - 172(3)

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بھارت قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



(نسیرین بانو)

سکشن افسر

اردو شعبہ، بھارت قانون ساز کاؤنسل